



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांक-आर0एम0पी0यू0/सम्ब0/2538/2023

दिनांक: 30 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

सचिव,

डॉ0 शन्नो रानी सरस्वती कन्या महाविद्यालय,

सिंघारपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक: 13.10.2023 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/ सत्तर-2- 2000-2(85)/97, दिनांक: 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर- 2-2007-2(85)/97, दिनांक: 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक: 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक: 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुखान्तित विवरण के अनुसार तीन वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र	प्रवक्ता का नाम	पिता/पति/पुत्री का नाम	जन्मतिथि	विषय	पदनाम	आधार कार्ड नं0
1	डॉ0 रजनी गुप्ता	श्री राम खिलाड़ी गुप्ता	01.07.1975		प्राचार्या	860407198154
2	डॉ0 कल्पना शर्मा	श्री चन्द्रकान्त	01.01.1980	हिन्दी	प्रवक्ता	467557864190
3	डॉ0 रुचि शर्मा	श्री अनिल शर्मा	10.10.1978	संस्कृत	प्रवक्ता	989686332574

अतः शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति तथा अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाये, तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

डॉ0(महेश कुमार)
कुलसचिव

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा



(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

(अनुमोदन पत्र)

पत्रांक: 112-985
दिनांक: 04.12.2010

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव,

Dr. Shamma Ram Sagarwati

Kanya Mahavidyalaya

Singhvi P.O. Mathura Road, Aligarh

विषय: महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति (अनुबन्धित) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उक्त विषय आप अपने पत्र संख्या दिनांक 18/06/2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको सूचित है कि निम्नवत् अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित पदों पर नियुक्ति हेतु महाविद्यालय की प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कुलपति महोदय ने अपना सशर्त अनुमोदन सहर्ष प्रदान कर दिया गया है, यह नियुक्तियाँ शासनादेश संख्या 2443/ सत्तर-2(25)/97 दिनांक 09.05.2000 के अधीन की गई है एवं शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23.11.2011 के अनुपालन में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिये स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संविदा के रूप में की जा रही है। अतः महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, पद भार ग्रहण एवं अनुबन्ध पत्र सम्बद्धन विभाग में प्रेषित करना अनिवार्य है।

क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पद	विषय	स्तर
1.	Smt Mansu Kumari	Lecturer	Hindi	UG
2.	Shri Satya Prakash.	11	Economics	UG
3.	11 Shamim Ansari	11	Education	UG
4.	Dr Indrajit	11	Sociology	UG
5.	Dr Deepak. Kumari	11	Home Science	UG
6.	Shri Pawan. Kumar	11	English	UG
7.	11 Vimal Kumar Singh	11	Sanskrit	UG
8.	/	/	/	/
9.	/	/	/	/
10.	/	/	/	/

भवदीय

कुलसचिव

Signature

डॉ० श्रीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा



(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

(अनुमोदन पत्र)

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव,

Dr. Shanno Rani Saraswati

Kanya Mahavidyalaya

Singhahpur, Mathura Road, Agra-202002

पत्रांक: ला.सं. 810/2020

दिनांक: 12/10/2020

विषय: महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित B.Com पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति (अनुबन्धित) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उक्त विषय आप अपने पत्र संख्या दिनांक 12.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको सूचित है कि निम्नवत् अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित पदों पर नियुक्ति हेतु महाविद्यालय की प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कुलपति महोदय ने अपना सशर्त अनुमोदन सहर्ष प्रदान कर दिया गया है, यह नियुक्तियाँ शासनादेश संख्या 2443/ सत्तर-2(25)/97 दिनांक 09.05.2000 के अधीन की गई है एवं शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23.08.2011 के अनुपालन में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिये स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संविदा के रूप में की जा रही है। अतः महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, पद भार ग्रहण एवं अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित विभाग में प्रेषित करना अनिवार्य है।

क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पद	विषय	स्तर
1.	Shri Ankit Kumar Verma	Lecturer	Comm.	U.G.
2.	Mithilesh Kumar	"	"	U.G.
3.	Bhujesh Yadav	"	"	U.G.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

भवदीय
[Signature]
कुलसचिव
आगरा